एक नजर में

जुआ खेल रहे चार जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा

ग्वालियर 20 अगस्त. गोलार घाटी के पास जंगल में हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे चार जुआरियों को थाना करहिया पुलिस ने पकड़ा। जुआरियों से कुल 11,600 रुपये नगद, 52 ताश के पत्ते की एक गड्डी को जप्त किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोलार घाटी के पास शासकीय वाहन को दूर खड़ा कर जंगल में पेड़ की आड़ में छुप कर देखा तो चार व्यक्ति रूपये पैसों से दांव लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे, जिन्हें घेराबन्दी कर पकड़ा एवं पूछताछ करने पर उन्होने अपने नाम व पता, वासुदेव पुत्र गुलाव सिंह रावत उम्र 40 साल निवासी सिलोरी थाना धीरपुरा जिला दतिया. धर्मेन्द्र पुत्र शिवदयाल गौड उम्र 29 साल निवासी बड़कागांव थाना आरोन जिला ग्वालियर, राम सिंह पुत्र कल्यान सिंह परिहार उम्र 35 साल निवासी भूरी थाना चीनौर जिला ग्वालियर, जहेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह रावत उम्र 42 साल नि. अमरोल थाना चीनौर जिला ग्वालियर बताये।

शहर की सड़कों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाकर करें युद्ध स्तर पर कार्य प्रांरभ : निगमायुक्त

ग्वालियर 20 अगस्त. शहर की स्वीकृत सभी सड़कों के निर्माण एवं डामरीकरण के लिए सभी ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी पूरी क्षमता के साथ कार्य प्रारंभ करें और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधन लगाते हुए सभी सड़कों को ठीक करें। साथ ही गांरटी पीरियड की जो सडकें हैं, उनपर तत्काल कार्य प्रारंभ कर सड़कों की मरम्मत करें। जिससे आमजनों को आवागमन में सुविधा हो सके। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने आज बुधवार को जनकार्य विभाग के ठेकेदारों के साथ आयोजित बैठक में सभी ठेकेदारों एवं संबंधित अधिकारियों को दिए। बाल भवन स्थित नवीन सभागार में आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री एपीएस जादौन, श्री सुशील कटारे सहित सभी सहायक यंत्री एवं ठेकेदार बैठक में उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी उपयंत्री वर्चुअली बैठक से जुडे रहे।

निगम मुख्यालय पर महापौर की लोकमंत्रणा आज

ग्वालियर 20 अगस्त. महापौर डॉ शोभा सतीश सिंह सिकरवार द्वारा आमजनों की समस्याओं से रूबरू होकर उनका निराकरण समय सीमा में करने के उद्देश्य से दिनांक 21 अगस्त 2025 को दोपहर 11.00 बजे से 01.00 बजे तक निगम मुख्यालय पर महापौर लोकमंत्रणा करेंगीं। इस कार्यक्रम के तहत महापौर निगम के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर आम जनों की समस्यायें सुनकर और उनका मौके पर निराकरण भी कराएंगीं। सिटीसेन्टर स्थित निगम मुख्यालय के सभागार में ''महापौर लोकमंत्रणा'' कार्यक्रम के तहत आम जनों द्वारा जो समस्यायें बताई जाएगी उनको पंजीबद्ध कर निराकरण किया जायेगा। साथ ही जिन समस्याओं का निराकरण समय सीमा में किया जाना है। उनके लिये निराकरण के पश्चात संबंधित आवेदक को निराकरण के संबंध में जानकारी भी दी जावेगी।

कार्य में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री कार्तिक पटेल एंव रवि गोडिया के खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही

ग्वालियर 20 अगस्त. कार्य में लापरवाही करने पर नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने दो सब इंजीनियरों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए विभागीय संस्थित किए जाने की कार्यवाही की है। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार वार्ड क्रमांक 41 में कदम साहब का बाड़ा एवं इसके आस-पास की गलियों में पूर्व से बनी हुई सड़क पर नवीन सीसी सड़क निर्माण कार्य कराए जाने के लिए स्थल निरीक्षण कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण उपयंत्री, क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्रमांक 16 श्री रवि गोडिया को आरोप पत्र जारी करते हुए विभागीय जांच संस्थित की जाने की कार्यवाही की है। इसके साथ ही उपयंत्री श्री कार्तिक पटेल के लम्बे समय से अनुपस्थित होने से विभागीय संस्थित की जाने के लिए श्री कार्तिक पटेल को आरोप पत्र जारी किया है।

अशोका ढाबा संचालक द्वारा सम्पत्ति कर जमा न करने पर धारा 174 एवं 175 का दिया नोटिस

ग्वालियर 20 अगस्त सम्पत्तिकर वसूली अभियान अंतर्गत संपत्ति कर जमा न करने वाले अशोका ढाबा के संचालक को धारा 174 एवं 175 का नोटिस जारी किया गया। उपायुक्त श्री रजनीश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार लक्ष्य के अनुरूप सम्पत्तिकर वसूलने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत बडे बकायदारों द्वारा सम्पत्ति कर जमा न करने पर नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत आज वार्ड 64 में अशोका ढाबा के संचालक श्री लेखराज रावल की सम्पति पर बकाया सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकरों की बकाया राशि 6,42,957 रूपये जमा न कराये जाने के फलस्वरूप धारा 174,175 का सूचना पत्र चस्पा किया गया। समय अवधि में उक्त राशि जमा न कराए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक श्री महेश पाराशर, टीसी श्री सतेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

अधिकारियों के कार्यों में किया फेरबदल

ग्वालियर 20 अगस्त. कार्य सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया गया है। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार उपयंत्री जल प्रदाय श्री रजनीश गुप्ता को वर्तमान कार्य के साथ साथ जनकार्य विभाग अंतर्गत सहायक यंत्री क्षेत्र क्रमांक 22 एवं 23 का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही उपयंत्री श्री उत्पल सिंह भदौरिया क्षेत्राधिकारी सह भवन निरीक्षक क्षेत्र क्रमांक 17 को क्षेत्राधिकारी सह भवन निरीक्षक क्षेत्र क्रमांक 22 का दायित्व सौंपा गया है तथा यह अपने वर्तमान कार्य से मुक्त रहेगें। साथ ही उपयंत्री श्री अभिषेक ठाकुर क्षेत्राधिकारी सह भवन निरीक्षक क्षेत्र क्रमांक 22 को क्षेत्राधिकारी सह भवन निरीक्षक क्षेत्र क्रमांक 17 का दायित्व सौंपा गया है तथा इनके शेष कार्य यथावत रहेगें।

निगम द्वारा मिशन मोड पर किया जाएगा सड़कों को ठीक करने का कार्य, आगामी 30 दिवस की योजना तैयार

ग्वालियर 20 अगस्त .नगर निगम द्वारा इस वर्ष अतिवृष्टा के कारण जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए है, उनके लिए अगामी 02 माह में पूरे शहर में सड़कों को संधारित करने हेतु कार्य योजना नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार तैयार की गई है। जिसमें निगम द्वारा मिशन मोड पर कार्य करते हुए शहर की सड़कों को ठीक किया जाएगा। जिससे आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। नोडल अधिकारी पेंच वर्क श्री अमित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निगमायुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशन में वर्षा काल में जो मार्ग गारंटी पीरियड में है, उन्हें 01 माह में मरम्मत करने के निर्देश सभी ठेकेदारों एवं निगम अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में दिए गए हैं। जिसमें शहर की वर्तमान में 120 सडके गारंटी पीरियड में है, उसमें जो भी क्षतिग्रस्त है संबंधित ठेकेदार से मरम्मत आगामी 30 दिवस में कराया जावेगा। इसके साथ ही निगमायुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा निगम के पेंच रिपेयर विभाग को निर्देशित किया गया है, कि मिशन मोड पर शहर की सड़कों को मरम्मत कराये जिसकी मोनिटरिंग अपर आयुक्त, सहायक यंत्री, उपयंत्री प्रतिदिन करेंगे एवं निगम का पेंच रिपेयर विभाग आगामी 10 दिवस में इन मुख्य मार्ग पर पेच वर्क करेगा जिसमे चिन्हित मुख्य मार्ग है। इस प्रकार हैं सिंधिया स्टैच्यू शान शौकत शिंदे की छावनी रामदास घाटी-पागलखाना तक, सिंधिया स्टैच्यू से इंदरगंज गोलंबर तक दोनों तरफ, नया पडाव पुल एवं पुराना पड़ाव पुल के आस पास का एरिया, पुराना पड़ाव पुल से फूलबाग चौराहा तक, फूलबाग से गुरुद्वारे तक दोनो तरफ, आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार चौराहा तक, लक्ष्मीबाई स्टेच्यू से चौपाटी तक।

राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने किया नमन

नवभारत न्यूज

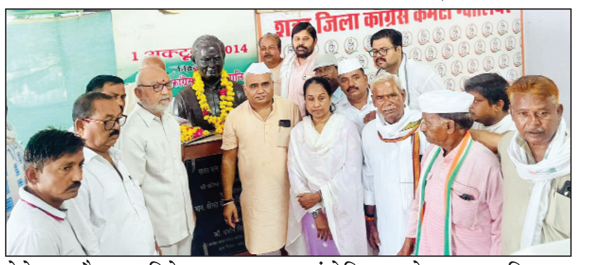

ग्वालियर 20 अगस्त। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन, शिंदे की छावनी पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की 81वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन पर आयोजित संगोष्ठी में कांग्रेसजनों ने स्व. राजीव के देश के विकास में दिए योगदान को याद किया एवं कांग्रेस भवन में स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजली अर्पित की साथ सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अंतर्गत ब्लॉक अध्यक्षगण राजेश खान, नवीन भदकारिया, मुनेन्द्र भदौरिया, लक्ष्मीनारायण कुशवाह, उपेन्द्र सिंह पिंटू राजपूत, विनोद कुमार जेन, अनूप शिवहरे, देवेन्द्र चौहान, हितेन्द्र यादव, महादेव अपोरिया, राकेश शर्मा, राजेश बाबू, अब्दुल हमीद पप्पू, उदयराज मोनू योगी, कैलाश चावला के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया एवं कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हरेन्द्र गुर्जर के नेतृत्व में फल वितरण किया गया।

कांग्रेस भवन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि स्व. राजीव गांधी जी एक कर्मयोगी व्यक्ति थे, कार्य के प्रति लगनशील थे, वह कुशल पायलेट थे एवं एक बहुत सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व थे, श्री राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन किया, 18 वर्ष के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया। श्री राजीव गांधी जी भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न राजीव गांधी जी युगदृष्टा युग पुरुष थे। श्री राजीव गांधी जी ने देश की महिलांओ को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलांओ को उनका अधिकार दिया। देश का लगभग 65 प्रतिशत युवा मत देने के अधिकार से वंचित था, उसे मत देने का अधिकार भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी को ही जाता है। राजीव जी देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। 21वीं सदी के युग निर्माता थे, देश में पंचायती राज को स्थापित किया। 21 मई 1991 को पेरम्बदूर (मद्रास) में आमसभा के दौरान आत्मघाती हमला किया गया और वो अपने देश की एकता अखंडता के लिये शहीद हो गये।जयंती कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र शर्मा, प्रदेष महासचिव सुनील शर्मा, प्रदेश सचिव राहुल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे मौजूद रहे।

लोक लेखा समिति की बैठक आयोजित

ग्वालियर 20 अगस्त.लोक लेखा समिति की बैठक आज बुधवार को पार्षद एवं समिति सदस्य श्री महेन्द्र आर्य की अध्यक्षता में नगर निगम, मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य श्रीमती गीता भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, श्रीमती ममता अरविन्द शर्मा, श्री मनोज राजपूत, श्रीमती अनीता रामू कुशवाह एवं अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला एवं लेखा विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में प्र. अध्यक्ष श्री आर्य द्वारा लेखा विभाग द्वारा संचालित कार्यो के संबंध में चर्चा की गई।

गंदगी फैलाने वालों से वसूला जुर्माना

ग्वालियर 20 अगस्त. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशन में निगम अमले द्वारा निरंतर अभियान चलाया जाकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 50 में अमानक पॉलीथिन एवं गंदगी फैलाने वालों तथा रेड स्पॉट करने वालों से 3000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही के दौरान फ्लाइंग स्कॉट प्रभारी श्री धर्मेंद्र धीरज धौलपुरिया, वार्ड हेल्थ ऑफिसर विक्रम बागड़े, सहायक नरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

थाना महाराजपुरा पुलिस ने की हत्या के प्रकरण में फरार आरोपी के खिलाफ कार्यवाही

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 20 अगस्त. नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती मरीज के साथ मारपीट कर हत्या करने वाले फरार तीसरे आरोपी को थाना महाराजपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त प्रकरण का फरार एक आरोपी भगवान सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह जादौन शांति नशा मुक्ति केन्द्र पटरी रोड के पास देखा गया है। पुलिस टीम ने उसे घेरकर पकड़ लिया। पकड़े गये आरोपी से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उक्त प्रकरण में थाना महाराजपुरा पुलिस द्वारा आरोपी रवि तोमर पुत्र स्व. मुन्ना सिह तोमर उम्र 31 साल निवासी न्यू विवेक नगर ठाटीपुर जिला ग्वालियर तथा दूसरे आरोपी कृष्णमुरारी दीक्षित पुत्र स्व. श्री गणेश दीक्षित उम्र 48 साल निवासी ग्राम महातुआ थाना इकदिल जिला इटावा (उ.प्र.) हाल निवासी अड्डा कूलर गांधी नगर इटावा (उ.प्र.) को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

यह हैं मामला- कपिल शर्मा निवासी त्यागी नगर मुरार ने थाना महाराजपुरा में अपने भाई के साथ मारपीट कर हत्या की रिपोर्ट कराई थी। जांच एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ज्ञात हुआ कि मृतक पंकज शर्मा के शरीर पर कई जगह चोटें पायी गई हैं और इस मामले में मृत्यु का कारण मृतक के शरीर पर लगी गंभीर चोटों का होना पाया गया।

साक्षियों के कथनों के आधार पर भी पाया गया कि नशा मुक्ति केन्द्र में मृतक पंकज शर्मा की विशाल कांकर, हर्ष शिन्दे, रवि तोमर, धर्मेन्द्र जादौन एवं कृष्ण मुरारी द्वारा बेरहमी से मारपीट की थी।

खेत की मेड़ पर पत्थर रखने पर हुआ विवाद, चली लाठियां

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 20 अगस्त. तिघरा थाना क्षेत्र के सौजना गांव में खेत की मेड़ को लेकर एक ही परिवार के बीच जमकर लाठियां चलीं। लाठीबाजी में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस सौजना गांव पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। विवाद का कारण जानने के बाद पुलिस ने समझाया भी, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं हुआ।

पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया है। प्रेम सिंह कुशवाह तथा भूरा कुशवाह निवासी सौजना दोनों भाई हैं। दोनों पक्ष के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मंगलवार दोपहर खेत की मेड़ पर पत्थर रखने को लेकर विवाद हो गया। मेड़ पर जो पत्थर रखे थे, प्रेम सिंह कुशवाह व भूरा सिंह कुशवाह एक-दूसरे के खेत में फेंकने लगे। इसी बात को लेकर पहले मुंहवाद हुआ। बात ज्यादा बढ़ी तो भूरा कुशवाह तथा इनके दोनों लड़के सुमित तथा दीपक लाठियां लेकर खेत पर पहुंच गए। लाठियां एक पक्ष ने निकाली तो प्रेम सिंह कुशवाह तथा अजमेर सिंह ने लाठी निकाल ली।

विवाद को लेकर दोनों तरफ से लाठीबाजी होने लगी। इससे महिलाएं तथा दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए। सौजना में एक ही परिवार के लोग लाठियां भांज रहे थे इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला पुलिस थाने ले आई। थाने में भूरा कुशवाह तथा प्रेम कुशवाह विवाद के लिए एक-दूसरे को दोष देते रहे। पुलिस ने समझाया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मामला कायम कर लिया है।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 50, भवन क्रं. 1944, स्थानः माधौगंज चौराहा कम्पू रोड़ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती गुरूलदास वलेचा / जगतमल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000318627 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 496 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत-पत्र क्रं. MP14260202 3A32358210 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाड़ा क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 31.07.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 82/2011/24653/24737/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता

रामकुमार वलेचा / गुरलदास वलेचा
संजय वलेचा / गुरलदास वलेचा

पताः माधौगंज चौराहा कम्पू रोड, ग्वालियर, वार्ड-50

विज्ञप्ति जारी दिनांकः 20-08-2025

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे.क्रं. 16 वार्ड क्रं. 35, भवन क्रं. 756, स्थानः सूबे की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार जैन, पवन कुमार / श्री नेमीचंद जैन के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000327819 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 976 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. ..... दिनांक ... के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 11.08.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 81/2010/37957/60172/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता

रमेश चन्द जैन / लज्जाराम जैन

पताः सूबे की गोठ, वार्ड-35

विज्ञप्ति जारी दिनांकः 20-08-2025

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

एन एफ एल NFL A Navratna Company

A-A/2] कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल पिन- 462023(M.P.)
मोबाइल नंबर 9314397368, 9308602193

भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित बीज प्रसंस्करण इकाइयों से मध्य प्रदेश राज्य में रबी-2025-26 में विपणन के लिए गेहूं के नए प्रमाणित बीजों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा आमंत्रित करने संबंधित सूचना।

ई- निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक **01.09.2025 को 15.00 बजे** तक है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.nationalfertilizers.com & www.etenders.gov.in/ eprocure/app** वेबसाइट देखें।
किसी भी शुद्धिपत्र / संशोधन को केवल एनएफएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

आंचलिक प्रबंधक, भोपाल

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर

जाहिर ई-निविदा सूचना क्र. ९/२०२५-२०२६

पाणी पुरवठा विभागाकडील माझी वसुंधरा ४.० अंतर्गत मियावॉकी/घनदाट जंगल विकसीत करणे तसेच सोलार पॅनेल बसविणे इत्यादी तदअनुषंगीक कामे करणेची जाहिर ई-निविदा क्रं. ९/२०२५-२६ www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २१/०८/२०२५ रोजी स. ११.०० वाजले पासून प्रसिध्द करणेत येत आहे. सविस्तर जाहिरात www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जा.क्रं. पा.पु.वशि.१५७८/२०२५ — **सही/-**
महानगरपालिका कार्यालय — **उपायुक्त**
दि. २०/०८/२०२५ — **इचलकरंजी महानगरपालिका**

MADHYA PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD

Office of Executive Engineer, Technical Division, Gwalior
Near Gate No. 01, Deendayal Nagar, Gwalior

No /Board/25-26 /525 — Dated : 20.08.2025

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for Maintenance and Renovation Work of Existing Divisional office building at Gwalior. **Tender No. 2025_MPSAM_445401** (PAC Amount Rs. 20.83 Lakh). The following works Tender to be received online up to 17:30 on 08.09.2025. Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the **http://mptenders.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note : Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/ Development works and locations & key dates can also be seen on our website **www. mpmandiboard.gov.in & http:// mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/121641/2025 — **EXECUTIVE ENGINEER**

कब्जा नोटिस

जबकि, **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकताओं(ओं) को **मांग नोटिस** जारी किया है, जिसमें उधारकताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति से **60 दिनों** के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर ब्याज भी अदा करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	45519420002978	1) श्री रवि शर्मा, पुत्र बाबूराम शर्मा, 2) श्रीमती शारदा शर्मा, पत्नी बाबूराम शर्मा	06.06.2025 21,16,037.35 रुपये (इक्कीस लाख सोलह हजार सैंतीस रुपये और पैंतीस पैसे मात्र) 03.06.2025 तक	दिनांकः 18.08.2025 समयः 04:20 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः वह संपूर्ण आरसीसी अधिरचना जिसमें आवासीय द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 120, कुल निर्मित क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट शामिल है। (92.93 वर्ग मीटर), "ओमराज एवेन्यू" में स्थित, खसरा संख्या 350, ग्राम सिरोल नगर, नगर पालिक निगम ग्वालियर, वार्ड संख्या 61, परगना एवं जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत भूमि पर निर्मित। पूर्व में प्लॉट संख्या 121, पश्चिम में फ्लैट संख्या 119, उत्तर में मल्टी का रोड और दक्षिण में मल्टी का कॉमन एरिया से घिरा हुआ।			
2	45519420007970	1) श्री मुकेश, पुत्र उदयवीर, 2) श्रीमती पूनम देवी	06.06.2025 रू.12,66,902.75 (बारह लाख छियासठ हजार नौ सौ दो पिचहत्तर पैसे मात्र) 03.06.2025 तक	दिनांकः 18.08.2025 समयः 05:20 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः भूमि का वह पूरा टुकड़ा जिसमें भूखंड संख्या 7 और 8 का भाग, कुल क्षेत्रफल 916 वर्ग फुट (85.13 वर्ग मीटर), उस पर निर्माण सहित, भूमि सर्वेक्षण संख्या 479/1, वार्ड संख्या 61 का भाग, नगर पालिक निगम ग्वालियर, मुरार, परगना और जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमाः पूर्व में प्लॉट संख्या 6, पश्चिम में अन्य की संपत्ति, उत्तर में 16 फीट चौड़ी सड़क और दक्षिण में अन्य की संपत्ति।			

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः ग्वालियर — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 21.08.2025 — जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट संख्या 131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (एमपी)-462011।

बरौनी-ग्वालियर बरौनी मेल का चिरगाँव स्टेशन पर ठहराव

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेलयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 11124/11123 बरौनी-ग्वालियर बरौनी मेल का चिरगाँव स्टेशन पर ठहराव प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

गाड़ी संख्या एवं रेलगाड़ी का नाम	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	तिथि से प्रभावी: प्रारम्भिक स्टेशन से	तिथि से प्रभावी: चिरगाँव स्टेशन पर ठहराव
11124 बरौनी-ग्वालियर बरौनी मेल	चिरगाँव	15:58	16:00	बरौनी स्टेशन से 22.08.2025	23.08.2025
11123 ग्वालियर-बरौनी बरौनी मेल	चिरगाँव	14:27	14:29	ग्वालियर स्टेशन से 23.08.2025	23.08.2025

गाड़ी संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल का चिरगाँव स्टेशन पर ठहराव के कारण निम्न स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान के समय में दिनांक 23.08.2025 से संशोधन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

गाड़ी संख्या	स्टेशन	वर्तमान समय: आगमन	वर्तमान समय: प्रस्थान	संशोधित समय: आगमन	संशोधित समय: प्रस्थान
11123	मोठ	14:40	14:42	14:50	14:52
	एट	15:06	15:08	15:21	15:23
	उरई	15:30	15:32	15:45	15:47
	कालपी	16:01	16:03	16:15	16:17
	पुखराया	16:17	16:19	16:33	16:35

नोटः ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाईन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONCR 1502/25(AS)

दानशुर व्यक्तींना मदतीचे आवाहन

सिल्लोड व सोयगांव तालुक्यातील सर्व विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या सेवार्थ इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापुर ता. सोयगांव जि. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) तर्फे सेवार्थ शाळा इमारत बांधकाम, महाविद्यालय इमारत बांधकाम तसेच वस्तीगृह इमारत बांधकाम व इतर आनुषंगिक कामांच्या मदतीसाठी कंपन्या, खाजगी कंपन्या, संस्था आणि दानशुर व्यक्तींनी सढळ हाताने मदत करावी, ही नम्र विनंती.

चेक, डीडी, NEFT, IMPS, UPI व RTGS द्वारे संस्थेच्या खालील बँक खात्यात देणगी स्विकारली जाईल.

बँक खात्याचे नांव	: इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ
बँक खाते क्र.	: 39173093422
बँकेचे नाव	: स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शाखा	: सिल्लोड ता. सिल्लोड
IFSC कोड	: SBIN0020015
संस्था 12A नोंदणी क्र.	: AABTI2645C24PN01
संस्था 80G नोंदणी क्र.	: AABTI2645C24PN02

CSR फंडसाठी
बँक खाते क्र. 44392844439
IFSC कोड : SBIN0020015
बँकेचे नाव व शाखा : स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सिल्लोड

सौजन्य : सर्व सन्माननीय कार्यकारी मंडळ, इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापुर ता. सोयगांव जि. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)

गोल पहाड़िया एवं माधौगंज क्षेत्र से हटाया अस्थाई अतिक्रमण

ग्वालियर मदाखलत अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुये बताया की नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार एवं उपायुक्त श्री सत्यपाल सिंह चौहान के निर्देशन में निगम अमले द्वारा लगातार स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। जिसके तहत मेहराव साहब की तलैया गोल पहाड़िया एवं माधोगंज चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर खड़े यातायात में बाधक हाथ ठेलों, फुटपाथी दुकानों एवं अन्य अस्थाई अतिक्रमण को मदाखलत दल (दक्षिण) द्वारा हटवाया गया।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

(समविश्वविद्यालय, विशिष्ट श्रेणी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002 (म.प्र.), वेबसाइट : www.nitttrbpl.ac.in

विभिन्न स्कूल/विभाग के अंतर्गत शिक्षार्थी केंद्रित पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सेवारत शिक्षकों, कार्यरत पेशेवरों / उद्योग कर्मियों एवं उत्साही शिक्षार्थियों जो भविष्य में नेतृत्व प्रदान कर सके, से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पीजी प्रवेश

एमबीए

स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट)

एम.टेक और एम.एससी.

स्कूल	प्रोगाम विशेषज्ञता
स्कूल ऑफ साइंस	एम.एससी. बायोफार्मास्युटिकल साइंस
	एम.एससी. फिजिक्स (सेमीकंडक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी)
स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी	एम.टेक. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट
	एम.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (बिग डेटा एनालिटिक्स)
	एम.टेक. ग्रीन टेक्नोलॉजी
	एम.टेक. वीएलएसआई एवं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स
	एम.टेक. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंड ऑटोमेशन

❖ सभी पीजी कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण में आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय हैं और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल के विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से एकीकृत हैं।

- आरक्षण भारत सरकार के मानदंडो के अनुसार।
- महत्वपूर्ण जानकारी, निर्देश, तिथि एवं आवेदन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बेवसाइट www.nitttrbpl.ac.in को नियमित रूप से देखें।
- प्रश्न/जानकारी के लिए कॉल करें मो. 8005725558, 9424614502

निदेशक

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071।

शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011.

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकता/गारंटर/बंधककर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर भविष्य के ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ता	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	देय राशि रुपये में/दिनांक तक
1	1) श्री संदीप सिंह, पुत्र अतर सिंह, 2) श्रीमती चरण देवी, पत्नी अतर सिंह	ऋण खाता सं. 45519420008269 ऋण राशिः रु.9,36,000/-	अचल संपत्तिः भूखंड संख्या 71 वाला वह समस्त भूखंड, कुल क्षेत्रफल 960 वर्ग फुट (89.21 वर्ग मीटर), उस पर निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 699, 700 और 702 का भाग, बैजनाथधाम, वार्ड संख्या 62, ग्राम सेंथरी, परगना एवं जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थित। पूर्व में अन्य की संपत्ति, पश्चिम में भूखंड संख्या 70, उत्तर में 20 फुट चौड़ी सड़क और दक्षिण में अन्य की संपत्ति से घिरा हुआ।	01-08-2025 और 18-08-2025	रू. 9,72,731.93 (रुपये नौ लाख बहत्तर हजार सात सौ इकतीस और तेरानवे पैसे मात्र) 10-08-2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं के विरुद्ध करने का आह्वान किया जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या लेन-देन करने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांकः 21.08.2025, स्थानः ग्वालियर — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जाना स्माल फायनेंस बैंक के लिए**